भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3058** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

गंगा नदी जलमार्ग

†3058. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी की जल वहन क्षमता की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी जलमार्गों के पुनरुद्धार हेतु कोई पहल शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो अन्य नदियों सहित तत्संबंधी योजनागत परिव्यय का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां। आईडब्ल्यूएआई ने विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ 2.2 से 3.0 मी. का फेयरवे और बड़े बार्ज आवाजाही के लिए 45 मी. की निचली नहर, मल्टी मॉडल टर्मिनलों, इंटर मॉडल टर्मिनलों, नौचालन लॉक गेट, सामुदायिक जेट्टियां और नौचालन सहायता प्रदान करने के लिए गंगा-भागीरथी- हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी जलखंड (1390 कि.मी.) पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) के क्षमता संवर्धन हेतु जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का कार्यान्वयन शुरू किया है।

(ख) और (ग): योजना परिव्यय तथा राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध -1

राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) परियोजनाओं का विवरण और 30.06.2024 तक नियोजित परिव्यय:–

क्रम सं.	राज्यों के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) पर स्वीकृत परियोजनाएं	(करोड़ रु. में)
		आवंटित
1.	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर वाराणसी-हल्दिया जलखंड (1390 कि.मी) से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी-I और II)	5369.18
2.	(क) असम में रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) का विकास	474
	(ख) असम में रा.ज.-2 से रा.रा.-27 पर पांडु पत्तन तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण	180
	(ग) असम में रा.ज-2 से रा.रा.-27 पर पांडु में पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण	208
3.	असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी) और भारत-बांग्लादेश मार्ग के भारतीय हिस्से का विकास	148
4.	केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम राज्यों में 16 राष्ट्रीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्ग-3, 4, 5 और 13 नए राष्ट्रीय जलमार्ग) का विकास-	267
	कुल	**6646.18**

*****